



UPMP040077122026

न्यायालय J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif V, Mainpuri
पीठासीन अधिकारी- (SMT. PREETI SHUKLA) - उ०प्र० न्यायिक सेवा - UP04691

Bail Application/2068/2026

State Of U.P Vs. Amarpal and others

परिवाद सं०. **1741/2025**

अ०धारा-506 भा०दं०सं०

थाना - बरनाहल, जिला - मैनपुरी।

दिनांक- 17.04.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण अमरपाल पुत्र वीरेन्द्र सिंह व पुष्पा देवी पत्नी अमरपाल निवासीगण बाउथ पोस्ट बाउथ थाना जसबंतनगर जिला इटावा ने परिवाद सं० **1741/2025** अंतर्गत धारा-506 भा०दं०सं० थाना-बरनाहल, जिला मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण को उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण पर लगाया गया जुर्म जमानती अपराध है। प्रार्थीगण अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अतः प्रार्थीगण द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण अमरपाल व पुष्पा देवी **परिवाद सं०. 1741/2025** अंतर्गत धारा-506 भा०दं०सं० थाना-बरनाहल, जिला मैनपुरी के मामले में अभियुक्तगण है।

अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण जमानत का दुरुपयोग करते हुए साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाना का आधार पर्याप्त है। मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए निम्न शर्तों के अधीन अभियुक्तगण को जमानत का पर्याप्त आधार है, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

1. अभियुक्तगण जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
2. अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के पश्चात पुनः इस तरह के आपराधिक क्रिया-कलाप में सम्मिलित नहीं होंगे।
3. अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

आदेश

अभियुक्तगण अमरपाल व पुष्पा देवी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को 25,000/-रु का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(प्रीति शुक्ला)

अपर सिविल जज (अवर वर्ग)
कोर्ट संख्या-5, मैनपुरी

